# आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

बी०एल०डी०आर० वाद संख्या – 79/2018

भागीरथी राम

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

## आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

| *आदेश की क्रम–संख्या और तारीख* | **आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर** | *आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ* |
|---|---|---|
| **05.06.2023** | प्रस्तुत अपीलवाद भागीरथी राम ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण के अपील वाद संख्या 100/2014–15 मे दिनांक 30.03.2015 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया है तथा इस वाद की विवादित भूमि पश्चिम चम्पारण जिले के मौजा–महुआ भूसा, थाना+अंचल–गौनाहा के खाता सं० 113 तथा खेसरा सं०–83 के कुल रकवा 50 डी० मे अवस्थित है। निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :– | |

| क्र० | विवरणी | तिथि | विलंब |
|---|---|---|---|
| 1 | आदेश की तिथि | 30.03.2015 | 116दिन |
| 2 | चिरकुट दाखिल करने कि तिथि | 24.07.2015 | |
| 3 | स्टाम्प शुल्क Notify करने की तिथि | – | |
| 4 | स्टाम्प शुल्क जमा करने की तिथि | – | |
| 5 | सच्ची प्रतिलिपि तैयार करने की तिथि | 01.08.2015 | 0 दिन |
| 6 | सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त करने की तिथि | 01.08.2015 | |
| 7 | अपील वाद दायर करने की तिथि | 08.05.2018 | 1135 दिन |
| | कुल (7+1) | | 1251 दिन |
| | (–) नकल निर्गत करने मे लगा समय (6–2) | | 08 दिन |
| | (–)अपील दायर करने का निर्धारित समय | | 30 दिन |

WEB COPY NOT OFFICIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | शुद्ध विलंब | 1213 दिन |

वादी के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित। इस वाद के विगत तिथि दिनांक 27.04.2023 को भी वादी के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित थे। वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद 1213 दिन विलंब से दायर किया गया है, जबकि बिहार भूमि विवाद निराकरण, अधिनियम 2009 के नियम 14 के अनुसार 30 दिनों के अंदर अपील दायर करने का प्रावधान है एवं वादी द्वारा अपील दायर करने की समय सीमा के 40 गुणा अधिक विलंब से वाद दायर किया गया है जो अप्रत्याशित विलंब है। विलंब क्षांत करने हेतु वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई आवेदन भी दाखिल नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि वादी को प्रश्नगत वाद में कोई अभिरूची नहीं है।

अतः प्रस्तुत अपीलवाद को उपरोक्त कारणों से कालबाधित (Time barred) होने के कारण **अस्वीकृत** किया जाता है।

*आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।*

**लेखापित एवं संशोधित**

**आयुक्त** **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL